न्यायालय राजस्व मंडल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम0 के0 सिंह

सदस्य

निगरानी क्रमांक 340–एक/2015–विरूद्ध आदेश दि. 15–12–2014 पारित व्दारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर – प्रकरण क्रमांक 7/2010–11 निगरानी

मेवाराम पुत्र नवलकिशोर
ग्राम पुरावीरान तहसील मुंगावली
जिला अशोकनगर, म0प्र0 ---आवेदक

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन ---अनावेदक

(आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री एस.पी.धाकड़)
(अनावेदक की ओर से पैनल लायर)

आ दे श
(आज दिनांक 5 –10–2015 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालिर संभाग, ग्वालिर द्वारा प्रकरण क्रमांक 7/10–11 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 15–12–2014 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने तहसीलदार मुंगावली के समक्ष आवेदन देकर मांग की कि उसके व्दारा ग्राम पुरावीरान स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 113/7 रकबा 1.824 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) पर कई वर्षो से खेती की जा रही है इसलिये इस भूमि उसके नाम व्यवस्थापित की जावे।

तहसीलदार मुंगावली ने प्रकरण क्रमांक 23/अ-19/1989-90 दर्ज किया तथा जांच एंव सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 24-1-1990 पारित करके वादग्रस्त भूमि आवेदक के नाम व्यवस्थापित कर दी। अपर कलेक्टर अशोकनगर ने तहसीलदार मुंगावली के प्रकरण क्रमांक 23/अ-19/1989-90 में अनियमितता करना दर्शाते हुये स्वमेव निगरानी प्रकरण क्रमांक 410/1997-98 पंजीबद्ध किया तथा आवेदक के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुये आदेश दिनांक 23-10-98 पारित किया एंव तहसीलदार मुंगावली के व्यवस्थापन आदेश दिनांक 24-1-1990 को निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की। अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने प्रकरण क्रमांक 7/2010-11 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 15-12-2014 से निगरानी निरस्त कर दी। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि ग्राम पुरावीरान स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 113/7 रकबा 1.824 हैक्टर पर आवेदक का पूर्वजों के जमाने से कब्जा चला आ रहा था तथा वह निर्वाध खेती करते आ रहे हैं। तहसीलदार मुंगावली व्दारा विधिवत् इस्तहार का प्रकाशन किया जाकर आपत्तियां आमंत्रित की गई थीं किन्तु किसी भी ग्रामवासी की ओर से आपत्ति नहीं आई। ग्राम पंचायत व्दारा विधिवत् अभिमत दिया गया है फिर अपर कलेक्टर ने ग्राम पंचायत से अभिमत न बुलाना गलत आधारों पर माना है। हलका पटवारी से मौके की रिपोर्ट प्राप्त हुई एंव उसके कथन भी हुये

हैं आवेदक का मौके पर कब्जा प्रमाणित होने से भूमि का व्यवस्थापन किया गया है। आवेदक ने व्यवस्थापन के वाद काफी धन-श्रम व्यय करके खेती को उन्नत कृषि योग्य बनाया है। उन्होंने निगरानी स्वीकार करने की प्रार्थना की। अनावेदक के अभिभाषक ने अपर कलेक्टर के आदेश को उचित ठहराते हुये निगरानी निरस्त करने की मांग रखी।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्थिति यह है कि तहसीलदार मुंगावली के प्रकरण क्रमांक 23/अ-19/1989-90 में पारित आदेश दिनांक 24-1-1990 के विरूद्ध अपर कलेक्टर अशोकनगर ने वर्ष 1997-98 में अर्थात 7 वर्ष के अधिक समय वाद स्वमेव निगरानी दायर की है।

1. भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) धारा 50 - स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण शक्तियां - राजस्व अधिकारी व्दारा युक्तियुक्त समय में प्रयुक्त की जाना चाहिये - प्रकरण में एक वर्ष का समय अयुक्तियुक्त माना गया है।
2. भूमि का आबंटन किया गया, भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त हो गये - पुनरीक्षण अधिकारिता के अधीन शक्तियों प्रयुक्त करते हुये परिसीमा के पश्चात् आवंटन रद्द नहीं किया जा सकता।
   देवीप्रसाद विरूद्ध नाके 1975 **J L J 155** एंव 1975 रा.नि. 67 से अनुसरित

विचाराधीन निगरानी में अपर कलेक्टर अशोकनगर ने व्यवस्थापन आदेश के 7 वर्ष से अधिक समय वाद स्वमेव निगरानी दर्ज कर व्यवस्थापन आदेश निरस्त किया है जिसे नियमानुकूल नहीं माना जा सकता।

6/ आवेदक के अभिभाषक के तर्कानुसार आवेदक ने काफी धन व्यय करके एंव श्रम करके खेती को उन्नत कृषि योग्य बनाया है।

व्यवस्थापन के वाद उन्नत कृषि के उद्धेश्य से सिंचाई हेतु ट्यूव वैल लगाकर बंधान बनाते हेतु समतल किया हैं।

1. भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) धारा 50 - भूमि आवेदक को आवंटित की गई - सरकारी भूमि घोषित नहीं की जा सकती - सरकारी पदाधिकारियों व्दारा गलतियां की गई - प्रशासनिक अधिकारियों व्दारा की गई त्रृटियों से पात्र भूमिहीन बंटितियों को भूमि आवंटन के लाभ से बंचित नहीं किया जा सकता। इन्दरसिंह तथा अन्य विरूद्व म0प्र0शासन 2009 रा0नि0 251 से अनुसरित

आवेदक ने धन व्यय करके एवं श्रम करके अधिक पैदावार के उद्धेश्य से भूमि को उन्नत किस्म की बना लिया है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उसे भूमि व्यवस्थापन के लाभ से बंचित करना उचित प्रतीत नहीं होता है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालिर द्वारा प्रकरण क्रमांक 7/10-11 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 15-12-2014 एंव अपर कलेक्टर अशोकनगर व्दारा प्रकरण क्रमांक 410/1997-98 में पारित आदेश दिनांक 23-10-98 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं तथा ग्राम पुरावीरान स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 113/7 रकबा 1.824 हैक्टर पर आवेदक का नाम पूर्ववत् दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर